उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री उत्तर देंगी ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : प्रधान मंत्री वक्तव्य नहीं दे सकती ।

श्री नारायण दांडेकर : मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतएव प्रधान मंत्री वक्तव्य नहीं दे सकती ।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस मामले पर निर्णय लेना न्यायालय का कार्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अस्वीकृति का प्रस्ताव रख सकते हैं ।

श्री रंगा : यह सर्वविदित है कि प्रादेश स्वीकार कर लिया गया है । सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाने वाला है । हम भी अध्यादेश के विरुद्ध कुछ कहेंगे । तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय लेगी । ऐसी स्थिति में क्या औचित्य का प्रश्न उठाना तथा प्रधान मंत्री का वक्तव्य देना उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंगा ने उचित प्रश्न उठाया है । हमने एक समिति बनाकर इस बारे में नियम बनाए है । इसलिये प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने से नहीं रोका जा सकता ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना व्यवस्था का प्रश्न रखिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Prime Minister will have to give a statement when she comes forward before the House for the regularisation of the ordinance. Apart from that she has already given her statement over the A. I. R.-Thirdly the sub-judice matters are not discussed here.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय,

परसों एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसके द्वारा भारत में तिगमित बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है । आपकी अनुमति से, मैं इस सभा को वे बातें बताऊंगी जिनका विचार करके सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय किया और उस भावना का भी उल्लेख करूंगी जिसके अनुसार सरकार इस निर्णय को क्रियान्वित करना चाहती है ।

2. लगभग पन्द्रह वर्ष पहले, संसद ने इस बात का अनुमोदन किया था कि हमें अपने सामने समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का लक्ष्य रखना चाहिए । तब से अब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं । इस देश में हम जो नई सामाजिक व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहे है, उसके लिए राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और लोक-महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रभाव शाली बड़ी संस्थाओं पर लोक-स्वामित्व नियंत्रण रखना अनिवार्य

और महत्वपूर्ण है। भारत जैसे निर्धन देश में, इस तरह के उपायों को हम खास तौर से जरूरी समझते हैं, क्योंकि भारत, सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था अर्थात ऐसी व्यवस्था कायम रखते हुए शीघ्रता से आर्थिक प्रगति करना चाहता है जिसमें कुछ इने-गिने व्यक्तियों का प्रभुत्व न हो और जिसमें सभी को समान अवसर उपलब्ध हों।

3. किसी भी समाज में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो प्रभावशाली माध्यम हुआ करते हैं, वित्तीय संस्थाएं उनमें से ही है। इसी तथ्य के अनुसार, आज से लगभग दस वर्ष पहले हमने जीवन बीमा तथा भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया का राष्ट्रीकरण किया था। तब से हमने, उद्योग-धन्धों तथा कृषि के लिये दरम्याने या लम्बे अरसे के ऋणों की व्यवस्था करने के लिये सरकारी क्षेत्र में अन्य संस्थायें कायम की हैं। बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जनता की बचतों का संग्रह करना और उन्हें उत्पादन के काम के लिये उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थाओं पर सार्वजनिक नियंत्रण कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. हमें हाल के वर्षों में बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है पर इसके बाद अब हमारी अर्थ-व्यवस्था फिर से विकास और प्रगति करने की स्थिति में पहुंच गई है। कृषि-क्षेत्र में खास करके उद्योग, विद्या और अन्य दिशाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे निर्यात में भी प्रभावशाली वृद्धि हुई है। बिजली की पूर्ति, परिवहन के साधनों के विकास तथा प्रशिक्षित लोगों की उपलब्धि में भी बहुत वृद्धि हुई है। हमारे देश की औद्योगिक बुनियाद मजबूत हो गयी है और साथ ही विविध उद्योगों की स्थापना भी हुई है। इस स्थिति में हमने इस वर्ष के शुरू में, चौथी पंचवर्षीय योजना बड़े भरोसे और दृढ़निश्चय से शुरू की है।

5. पिछले कुछ दिनों से जिस सवाल पर हम बराबर ध्यान देते चले आ रहे है, वह यह है कि विकास की इस प्रक्रिया में हम किस प्रकार अधिक से अधिक शक्ति और गति पैदा कर सकते है, जिससे सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में चौथी आयोजना के लक्ष्य न सिर्फ पूरे किये जायं, बल्कि यदि हो सके, तो उनसे भी ज्यादा काम किया जायं। हमारे सामने जो मुख्य समस्या रही है वह पूंजी का निवेष और उत्पादन की गति को बढ़ाने की है, जिससे हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प के अनुसार, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें और रोजगार मिलने के अवसर बढ़ा सकें। यह जरूरी है कि हम जहां तक संभव हो अधिक से अधिक बचत जुटाएं और देश की योजनाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उन्हें उत्पादन के काम के लिये इस्तेमाल करें। सरकार का विश्वास है कि बड़े-बड़े बैंकों पर लोक-स्वामित्व कायम हो जाने से, जिसके लिये आम जनता का समर्थन हमें प्राप्त है, राष्ट्रीय साधनों के अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से जुटाई जाने और उनका उपयोग किये जाने के काम में बहुत मदद मिलेगी, जिससे हम और ज्यादा यकीन के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे।

6. भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश में भारत में निगमित उन सभी अनुसूचित बैंकों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था की गई है जिनके पास जमा रकमें पिछले जून के अन्त में 50 करोड़ रुपये से कम नहीं थी। इस वर्ग के चौदह बैंकों में और भारतीय राज्य बैंक तथा उसके सहायक बैंकों में, जो पहले से ही लोक-स्वामित्व के अधीन चल रहे हैं, इस देश के बैंकों में, जमा रकमों की 85 प्रतिशत से अधिक रकमें जमा हैं। सभा यह बात महसूस करेगी कि राष्ट्रीयकरण के स्वरूप को देखते हुये और ऐसी चालें चली जाने की सम्भावना को भी पहले से ही रोकने के लिये, जो सम्भवतः लोकहित में न होती यह आवश्यक था कि शीघ्रता से और संहसा कार्रवाई की जाती जो केवल अध्यादेश जारी करके ही की जा सकती थी। चूंकि पिछले कुछ दिनों में सरकार के इरादे के बारे में अटकलें बहुत जोर शोर से लगाई जाने लगीं थीं इसलिए अधिक समय नष्ट न करते हुये ऐसी कार्रवाई करना और भी आवश्यक हो गया था। यह कार्रवाई संसद के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई है जो एक विधेयक द्वारा जिसे चालू सत्र में पेश करने का सरकार का विचार है, प्राप्त किया जायगा।

7. जहां तक विदेशी बैंकों का सम्बन्ध है, सामान्यतः वे बैंक देश में विशिष्ट प्रकार के कारबार जैसे विदेशी व्यापार और पर्यटन की सुविधाओं की व्यवस्था करते है। सम्बद्ध देश के कानूनों के अनुसार एक देश के बैंकों का दूसरे देश में काम करना मुख्यतः इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होता हैं और यह काम अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा के एक अंश के रूप में होता है। हमारे भारतीय बैंकों की शाखाएं भी कई देशों में है। सरकार की यह सामान्य नीति रही है कि विदेशी बैंकों की नई शाखाएं केवल बड़े-बड़े बन्दरगाहों वाले नगरों में ही खोली जाएं, जहां उनकी विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता होती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये, सरकार ने यह फैसला किया है कि भारत से बाहर निगमित किये गये विदेशी बैंकों की शाखाओं पर यह अध्यादेश लागू न किया जाय।

8. जैसा कि मैंने उस दिन कहा, यह राष्ट्रीयकरण के नये युग की शुरुआत नहीं है। अर्थ व्यवस्था का कोई भी स्वरूप हो, व्यापक रूप से यह माना जाता है कि बैंकों के कार्य बड़े-बड़े सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हों और उनपर सरकार का कड़ा नियंत्रण हो। सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वांछित नियंत्रण और हमारी समस्याओं की अत्यावश्यकता के अनुरूप प्रगति केवल राष्ट्रीयकरण द्वारा ही हो सकती है।

9. मैं अपने इस आश्वासन को दोहराना चाहती हूं कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी गैर-सरकारी उद्योग और व्यापार की ऋण सम्बन्धी उचित आवश्यकताएं, चाहे वे बड़ी हो या छोटी, पूरी की जाती रहेंगी। वास्तव में हमारी यह कोशिश रहेगी कि अर्थ व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताएं, और खास कर किसानों, छोटे उद्योगपतियों और अपना निजी काम धन्धा करने वाले व्यवसायिक समूहों की आवश्यकताएं अधिकाधिक मात्रा में पूरी की जाय। राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक निश्चित उद्देश्य यह होगा कि वे नये और प्रगतिशील उद्यमकर्ताओं

को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें और देश के विभिन्न भागों के लिये नये अवसर प्रदान करें जो अब तक उपेक्षित और पिछड़े हुये हैं। अब बैंक और अच्छी तरह से किसानों के काम आ सकेंगे और कृषि-उत्पादन तथा गांवों के विकास कार्यों को सामान्यतः और बढ़ाया दे सकेंगे। बैंकों पर सरकार का अधिकार हो जाने से बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों को सट्टेबाजी और दूसरे अनुत्पादक कार्यों के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बड़े-बड़े बैंकों और अब तक उन पर नियंत्रण रखने वाले बड़े औद्योगिक समूहों के बीच सम्पर्क काट दिये जाने के फलस्वरूप, सरकार का यह विश्वास हैं कि उसने जो कदम उठाया हैं उससे बैंक-व्ययस्था के क्षेत्र में पर्याप्त व्यवसायिक-प्रबन्ध का विकास करने की दिशा में उचित वातावरण तैयार हो सकेगा। सरकार प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों और प्रणालियों को सबसे अधिक महत्व देती हैं।

10. जमाकर्ता बैंकों में जो रकम जमा करवाते हैं वह बैंकों के पास एक प्रकार की धरोहर के रूप में रहती है। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है उनके जमाकर्ताओं के हितों की, न केवल बराबर रक्षा की जाती रहेगी बल्कि अब उन्हें स्वयं राज्य का भी समर्थन प्राप्त होगा। यहां मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों, नये उद्यमकर्ताओं और अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रोंके सम्बन्ध में आर्थिक क्षमता पर विचार किये बिना कोई जोर नहीं दिया जायेगा। हम केवल उसी तरीके से उन व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं जिन्होंने अपनी बचत की रकमें जन-हित के लिये हमें सौंप दी हैं। लेकिन आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुये भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को पहले से और अधिक मात्रा में ऋण दिये जा सकते हैं। आम जनता को स्टेट बैंक के काम के बारे में पहले से ही जानकारी है जिसके आधार पर वे यह भली भांति जान सकते हैं कि किस प्रकार लोक-हित और सुरक्षा तथा जमाकर्ताओं को अधिक लाभ पहुंचाने जैसे उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया जा सकता हैं।

11. अध्यादेश में सम्बद्ध बैंकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा के लिये भी कर्मचारियों के व्यवस्था की गई है। वे कर्मचारी अब लोक स्वामित्व याली और सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायी बैंक व्यवस्था के कर्मचारी हो गये हैं। इससे समाज के प्रति उन पर अधिक जिम्मेदारी आ जाती है।राष्ट्रीयकरण के कार्य-क्रम की सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार कुशलता, कर्तव्य-निष्ठा तथा आस्था के साथ अपना दैनिक कार्य करते हैं और बैंक के असामियों के साथ शिष्ट और सम्मानप्रद व्ययहार करते हैं। मुझे आशा है कि इन बैंकों के सभी कर्मचारी और उनके संघ हमारे इस कदम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग और सहायता देंगे।

12. बैंकों को लेने के लिये अध्यादेश में एक फार्मूले के अनुसार उचित मुआवजा देने की योजना की व्यवस्था है जिसे संसद ने बैंक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 को

अधिनियमित करते समय हाल ही में स्वीकार किया था। अध्यादेश में यह व्यवस्था है कि मुआवजा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में चुकाया जाएगा।

13. इस समय, राष्ट्रीयकृत प्रत्येक बैंक का अस्तित्व एक नये निगम के रूप में पृथक बनाये रखने का विचार है, ताकि अध्यादेश के अन्तर्गत आने वाले बैंकों का कार्य यथासम्भव कम से कम अस्तव्यस्त हो और लोगों को असुविधा न हो। ऐसे प्रत्येक बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब केन्द्रीय सरकार की ओर से उस बैंक का अभिरक्षक है और वह केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण और निदेशन के अधीन कार्य करेगा। प्रत्येक मामले में भूतपूर्व निदेशक बोर्ड विघटित हो गया है और अध्यादेश में सरकार को इन निदेशक बोर्डों के स्थान पर परामर्शदाता बोर्डों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। यह व्यवस्था अन्तरिम है। प्रबन्ध के ढांचे में परिवर्तन करना भी आवश्यक हो सकता है ; ये परिवर्तन पूरी तरह से सोच-विचार करने के बाद किये जाएंगे। अध्यादेश में इस प्रकार के परिवर्तनों की व्यवस्था की गई है।

14. जैसा कि नीति सम्बन्धी अन्य विषयों में किया जाता है, सरकार ने वर्तमान निश्चय केवल राष्ट्रीय हितों और देश के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का विचार करते हुये किया है। समाजवादी समाज की स्थापना करना हमारा घोषित लक्ष्य है लेकिन हम कोरे सिद्धान्तवादी विचारों से प्रेरित नहीं हुये हैं। हमें एकमात्र चिन्ता यही रही है कि विकास की गति को तेज किया जाय और इस प्रकार गरीबी और बेकारी की समस्या को प्रभावशाली ढंग से हल किया जाय, जनता के धनी और निर्धन वर्ग तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों के बीच विद्यमान असमानताओं को धीरे-धीरे कम किया जाय।

मैं महसूस करती हूं कि इस निर्णय को कारगर ढंग से अमल में लाना ही इसकी कसौटी है। कार्य को सफल बनाने के लिये सरकार सभी सम्भव कदम उठाने के लिये कटिबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर इस सभा के सभी सदस्यों से अपील करती हूं कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को उद्देश्य सहित सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदाव करें।

उप-प्रधान मंत्री के त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RESIGNATION OF DEPUTY PRIME MINISTER

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : मैं अत्यन्त खेद के साथ अपने त्यागपत्र के कारण पर सभा में प्रकाश डाल रहा हूं क्योंकि इसमें मेरे तथा प्रधान मंत्री के सम्बन्धों का प्रश्न है। जो परिस्थिति है, उसमें मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि मेरे लिये मंत्रिमण्डल में अपने आत्मसम्मान का बलिदान किये बिना रहना सम्भव नहीं, क्योंकि मुझे वित्त मंत्रालय से, बिना परामर्श किये, भार मुक्त कर दिया गया।